न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:108/11 (आरसीएमएस नं. 2011/00040)

1. गोपीराम पुत्र श्री गंगाबक्श जाति अहीर, निवासी मलिकपुर तहसील चौंमू जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. बजरंग सिंह पुत्र भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी मलिकपुर, तहसील चौमू जिला जयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार चौंमू जिला जयुपुर

— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 06.11.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के आदेश दिनांक 24.11.2010 (प्रकरण संख्या 12/2007) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायलय का अपीलाधीन निर्णय विधि विधन एवं पत्रावली तथ्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है, उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व न तो कोई साक्ष्य का अवसर प्रदान किया एवं न ही सुनवाई का ही कोई अवसर प्रदान किया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सहज सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तंनीय है। उन्होने कथन किया है कि उक्त पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वास्ते मंगवाये जाने मौका रिपोर्ट थी दोनों पक्षों की मौजूदगी में तहसीलदार चौंमू द्वारा मौका देखना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली को बिना पक्षकारान को सूचित किये प्रकरण प्रशासन गांवों के संग शिविर मलिकपुर में दिनांक 24.11.2010 को निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो तहसीलदार की रिपोर्ट में कांट—छांट है, पहले तहसीलदार चौमू ने नक्शें मे चाही गई दुरूस्ती से खसरा नम्बर 1704 के काश्तकार भी प्रभावित होंगे जिनको पक्षकार नही बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है उसको कांट—छांट कर नही तथा खारिज योग्य से पहने स्वीकार शब्द दूसरी स्याही व बाद में लिखा गया है इससे भी स्पष्ट है कि तहसीलदार ने रिपोर्ट मनमाने तरीके से तथा बिना जांच के तैयार की है इसलिये भी अधीनस्थ [illegible] है। उन्होने कथन किया है कि

प्रस्तुत किया जिसमें गत खसरा नम्बर 726 की भूमि से हाल खसरा नम्बर 1699 रकबा 0.04 हैक्टयर ग्राम मलिकपुर तहसील चौमू में स्थित है जबकि खसरा नम्बर 1699 का केवल बजरंग सिंह अकेला रिकार्डेड खातेदार नही होकर अपीलान्ट व लक्ष्मण पुत्र छोटू हिस्सा 1/3, गोरधन पुत्र फूलसिंह हिस्सा 1/3, बजरंग सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा 1/3 की खतोदारी में था जिसमें उक्त गै.मु. चाह था जिसमें साबिक नक्शा व हाल नक्शा दोनों की पुष्टि से भी साबिक व हाल नक्शा बराबर है जबकि अपीलान्ट की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 1704 रकबा 0.60 हैक्टयर से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने फिर भी अपीलान्ट की खसरा नम्बर 1704 में नक्शें में कम करने का आदेश दिया वह लैण्ड रिकार्ड एक्ट व लैण्ड रिकार्ड रूल्स के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो बिन्दोबस्त विभाग की गलती मानी है उसे केवल नियमित वाद के जरिये ही बाद दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से ही तय किया जा सकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड व मौके की स्थिति के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है, इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.11.2010 निरस्त फरमया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विधान एवं कानूननी प्रावधानों के अनुरूप ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है तथा वर्तमान में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब इस अपील का चलाये रखे जाने का कोई औचित्य नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 24.11.10 पर पैराकार सरकार की रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर होता है कि रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1704 के काश्तकार भी प्रभावित होंगे जिनको पक्षकार "नही" बनाया गया है जिसमें "नही" शब्द को कांटा गया है इसी प्रकार उक्त रिपोर्ट में आगे प्रार्थना पत्र "खारिज" योग्य है के "खारिज" शब्द को कांटकर "स्वीकार" शब्द बाद में जोड़ा गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय पक्षकारान अनुपस्थित होना लिखा है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को [illegible] आदेश पारित किया गया है

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौंमू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2010 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौंमू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुऐ प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।